

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :-

जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :- 17/2022

जीवराज सिंह पुत्र श्री गीगसिंह, जाति राजपूत, निवासी पोंख, तहसील उदयपुरवाटी, जिला
झुंझुनू।

-अपीलार्थी

-बनाम-

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू।

-रेस्पोंडेंट

प्रथम अपील अंधारा 75 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 खिलाफ निर्णय न्यायालय
तहसीलदार उदयपुरवाटी उनवानी सरकार बनाम जीवराज सिंह
अंधा 91 एल0आर0एक्ट 1956, मु0न0 37/2020 निर्णय दिनांक 14.03.2022

उपस्थिति:-

1. श्री विजयपाल, एडवोकेट -----अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक -----रेस्पोंडेंट की ओर से।

-निर्णय-

दिनांक- 30.09.2022

उक्त अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 14.3.2022 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम जीवराज सिंह मु0न0 37/2020 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी के विरुद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार अंकित किये गये हैं कि:- अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली होने से निरस्त होने योग्य है। अपीलांट के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की गई है। अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। अपीलांट अतिक्रमी नहीं है। प्रकरण में धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधि0 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते। प्रकरण में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध अपीलांट ने राजस्व मण्डल अजमेर के यहां स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था और वर्तमान पीठासीन अधिकारी ने कार्यवाही की सूचना दिये बिना ही अपीलान्ट को गैर हाजिर बताकर निर्णय पारित कर तथ्य व विधि की भूल की है। निर्णय जैर बहस स्पीकिंग नहीं है। अपीलांट का जमीन हाल खसरा नंबर 3060/1834 रकबा 0.74 हैक्टर गै.मु.रास्ता में से 0.01 हैक्टर भूमि पर अतिक्रमण होना बताया गया है तथाकथित अतिक्रमण की लम्बाई-चौड़ाई दर्ज नहीं है। अदालत मातहत की पत्रावली पर



फर्द नपती रिपोर्ट नहीं है। तथाकथित नाप एकपक्षीय है। तथाकथित अतिक्रमण को साबित करने के लिये पटवारी हल्का बतौर साक्षी अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। इस प्रकार अदालत मातहत ने मनमर्जी से निर्णय जैर बहस पारित कर तथ्य व विधि की भूल की है। रास्ता की राजस्व रिकार्ड के मुताबिक चौड़ाई कितनी है तथा मौके पर कितनी है, दर्ज नहीं किया है। अपीलांट का तथाकथित कब्जा पूर्वजों के समय से है। तथाकथित अतिक्रमण नया हो, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। तथाकथित अतिक्रमण से आवागमन में कोई बाधा हो यह रिपोर्ट भी नहीं है। अदालत मातहत ने विधिक प्रक्रिया नहीं अपनाकर निर्णय पारित किया है, जो खारिज होने योग्य है। अंत में अपील पेश कर निवेदन किया कि अपील अपीलांट मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.03.2022 को अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि— अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। अपीलांट अतिक्रमी नहीं है। प्रकरण में धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधि० 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते। प्रकरण में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध अपीलांट ने राजस्व मण्डल अजमेर के यहां स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था और वर्तमान पीठासीन अधिकारी ने कार्यवाही की सूचना दिये बिना ही अपीलान्ट को गैर हाजिर बताकर निर्णय पारित कर तथ्य व विधि की भूल की है। निर्णय जैर बहस स्पीकिंग नहीं है। अपीलांट का जमीन हाल खसरा नंबर 3060/1834 रकबा 0.74 हैक्टर गै.मु. रास्ता में से 0.01 हैक्टर भूमि पर अतिक्रमण होना बताया गया है तथाकथित अतिक्रमण की लम्बाई-चौड़ाई दर्ज नहीं है। अदालत मातहत की पत्रावली पर फर्द नपती रिपोर्ट नहीं है। तथाकथित नाप एकपक्षीय है। तथाकथित अतिक्रमण को साबित करने के लिये पटवारी हल्का बतौर साक्षी अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। इस प्रकार अदालत मातहत ने मनमर्जी से निर्णय जैर बहस पारित कर तथ्य व विधि की भूल की है। रास्ता की राजस्व रिकार्ड के मुताबिक चौड़ाई कितनी है तथा मौके पर कितनी है, दर्ज नहीं किया है। अपीलांट का तथाकथित कब्जा पूर्वजों के समय से है। तथाकथित अतिक्रमण नया हो, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। तथाकथित अतिक्रमण से आवागमन में कोई बाधा हो यह रिपोर्ट भी नहीं है। अदालत मातहत ने विधिक प्रक्रिया नहीं अपनाकर निर्णय पारित किया है, जो खारिज होने योग्य है। अंत में अपील पेश कर निवेदन किया कि अपील अपीलांट मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.03.2022 को अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। हस्तगत प्रकरण में हल्का पटवारी पोंख की रिपोर्ट के अनुसार हाल भूमि खसरा नंबर 3060/1834 कुल रकबा 0.74 हैक्टर किस्म गैर मु0 रास्ता में से 0.1 है0 सरकारी भूमि पर अपीलांट श्री जीवराज सिंह द्वारा अनाधिकृत रूप से फसल काशत कर व पक्के मकानात बनाकर अतिक्रमण किया जाना बताया गया है जिस पर तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत नोटिस जारी किया जाकर अपीलांट को सुना गया है एवं साक्ष्य सबूत पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये हैं। विवादित भूमि रास्ते की भूमि होना बताया गया है जो आमजन के उपयोग की भूमि है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय एवं हाजा न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे विवादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण/कब्जा वैध साबित होता हो। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.03.2022 में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होने से अपील अपीलांटस स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांटस खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.03.2022 उनवानी सरकार बनाम जीवराज सिंह मु0नं0 37/2022 यथावत रखा जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्त



निर्णय आज दिनांक 30.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू